न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2010

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. जगनाथसिंह उर्फ जगदीशसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपुरोहित निवासी नौरवा तहसील आहोर		1. अमरसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपुरोहित निवासी नौरवा तहसील आहोर जिला जालोर
2. स्व0 पुखराजसिंह पुत्र वागसिंह के का0मु0		
2.1 दिलीपसिंह पुत्र पुखराजसिंह		
2.2 दशरथसिंह पुत्र पुखराजसिंह		
2.3 रामकुमार पुत्र पुखराजसिंह		
2.4 सीतादेवी बेवा पुखराजसिंह		
2.5 उमीदेवी पुत्री पुखराजसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण नौरवा तहसील आहोर जिला जालोर		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री भंवरलाल सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/7/19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 77/2009 पुखराजसिंह वगैरा बनाम अमरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2010 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की सह खातेदारी भूमि हैं। उक्त भूमि के विभाजन हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन से रोकने हेतु रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध रूप से खारिज़ किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अस्थाई व्यादेश जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में प्रबल थे, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज़ किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करातें हुए माफिक अनुतोष रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट संख्या 2 द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हकतर्क कर दिया था। इसके पश्चात से जैर अपील विवादित आराजी के 2/3 हिस्से की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज काश्त हैं। अपीलाण्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है तथा उसके साथ ही अस्थाई व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा समस्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने पर न्यायालय द्वारा बाद जांच विधिवत निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत नामान्तरकरण अपील के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें अपील स्वीकार की गई है। जिसमें जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए अपील स्वीकार की गई हैं। चूंकि अपीलाण्ट जैर अपील विवादित आराजी के कब्जे में नहीं हैं। इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में प्रबल नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु मूल वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं पाए जाने से प्रार्थना पत्र खारिज़ किया गया। अपीलाण्ट का मुख्य उज्र रहा कि जैर अपील विवादित आराजी के 2/3 हिस्से की भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त हैं, क्योंकि अपीलाण्ट संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हकतर्क रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया जा चुका हैं, हालांकि इस तथ्य का निर्धारण प्रकरण से समबन्धित मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाएगा, जिस पर प्रकरण हाजा में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं हैं। यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट जैर अपील विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के रेकर्डेड खातेदार है। इस सम्बन्ध में **RRT 2015(1) Pg. No. 633 Awtar Khan V/s. Mehar Bano & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Applications dismissed – Respondent No. 1 & 2 are the recorded Khatedar of the land & no temporary Injunction can be granted – Concurrent finding – Limited scope – Held, No material illegality or jurisdictional error in the order. (Para's 8,9). **RRT 2014(2) Pg. No. 1301 Goparam & ors V/s. Harima Ram & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Application for granting T.I. was dismissed – Defendants / non-applicants are the recorded Khatedar of the land & they are in possession of the land – Concurrent findings – Held, No T.I. can be granted & order suffered with no irregularity or illegality.(Para 7). **RRT 2009 (2) Pg. No. 1398 Ramjuddin & ors V/s. Ganesh Kumar & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Name of non-petitioner no. 1 entered wrongly in the revenue record – Suit relating to land is pending disposal since 1995 – Non Petitioner sold the Land to non-petitioner no. 2 & 3 pending suit- Non-petitioner no. 1 recorded Khatedar & petitioner has not produced any document of possession – No T.I. can be granted against a recorded Khatedar – Concurrent findings – Interference not justified.(Para 7). **RRT 2001(2) Pg. No. 1261 Smt. Prakash Kanwar & ors V/s. Kailash Chandra & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Land in disputed is a firm property – ½ share was of plaintiff's father & half share was of 'S' & 'R' who sold it to 'R', 'K' & 'R' through regd. Sale deed – 'R', 'K' & 'R' again sold to land to 'P', 'A' & 'M' through Regd. Sale deed - Parties are joint recorded Khatedar & co-tenant – Held, No order of T.I. can be passed against co-tenant to deprive them from use if their share & also cannot be evicted & orders are set aside.

इसी प्रकार आर0आर0टी0 2016–17(सप्ली.) पेज 637 में यह प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 212–अस्थायी निषेधाज्ञा–प्रार्थना पत्र खारिज़ किया–समवर्ती निष्कर्ष–अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से भूमि क्रय की और वह भूमि का रेकर्डेड खातेदार हैं–रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती–प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है–प्रार्थीगण के पक्ष में न तो सुविधा का सन्तुलन, न अपूर्णनीय क्षति है, निर्णीत, निगरानी खारिज़ की।" ये सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होतें हैं। इन सिद्धान्तों की रोशनी में हम इस तथ्य से सहमत है कि एक सह खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचरा नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 77/2009 पुखराजसिंह वगैरा बनाम अमरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2010 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर